राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010 जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में

प्रसंगः– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को संविदा पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है–

1. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का चयन संविदा आधार पर जिला स्तर से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमन्त्रित किये जाने है। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग विकलांग एवं महिलाओं का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।
2. जिला स्तर पर चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाना है जिसमें अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला कलक्टर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मानदेय विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2010 के अनुसार 13000 रूपये प्रतिमाह जिसमें रूपये 3000 ग्रामीण भत्ता एवं रूपये 2000 यात्रा भत्ता शामिल है।
4. कनिष्ठ तकनीकी सहायक के साथ जिला स्तर से ही अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा अनुबन्ध करेगें उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबन्धित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया जावेगा। ताकि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवश्यकता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में इन्हे लगाया जा सके।
5. इन कनिष्ट तकनीकी सहायकों की अनुबन्ध अवधि 28.02.2017 के पश्चात् बढाये जाने की स्थिति में इनकी एक वर्ष की सेवा संतोषजनक रहने पर उनके मूल मानदेय रूपये 8000 प्रतिमाह पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

भवदीय

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस